

सस्ती चीनी

(SUGAR)

संकल्प – झारखण्ड सरकार का

योजना केंद्र सरकार की

- बीपीएल को मात्र 13.50 रुपये में चीनी देने की योजना
- केंद्र सरकार प्रति किलो चीनी पर 18.00 रुपये प्रतिपूर्ति देगी
- झारखण्ड सरकार पर प्रति किलो मात्र छह रुपये का भार आयेगा
- झारखण्ड के लिए 6948 टन प्रतिमाह का कोटा
- वित्त 2014–15 के बजट में इसके लिए 50.387 करोड़ का प्रावधान
- अनुपूरक बजट में भी 53.103 करोड़ की स्वीकृति
- कैबिनेट की मंजूरी है, सरकार का संकल्प भी जारी
- टेंडर को विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है
- वेटिंग के लिए टेंडर को वित्त विभाग में भेजा गया है
- एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सस्ती चीनी वितरण का निर्देश दिया है।
- अभी तत्काल टेंडर जारी हो, तब भी मात्र एक महीने यानी मार्च 2015 में गरीबों को सस्ती चीनी मिल सकेगी।
- लेकिन कम–से–कम एक माह तो इस योजना का लाभ मिल सके गरीबों को, वरना केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार के संकल्प का क्या मतलब?

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय - वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य में जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवारों (अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवार सहित) को चीनी वितरण योजना की स्वीकृति।

भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के बी०पी०एल० परिवारों (अतिरिक्त बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय परिवार सहित) जिनकी कुल संख्या 35,09,833 के लिए चीनी की आपूर्ति हेतु दिशानिर्देश जारी की गयी है।

2. भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या- No.19(2)/2013-SP.I दिनांक 17.5.2013, राज्य के लिये भारत सरकार द्वारा नासिक कोटा 6948 टन निर्धारित की गई है। जिसमें प्रति परिवार लगभग 2 (दो) किलोग्राम चीनी जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से दी जा सकेगी। वर्ष में एक बार त्योहार कोटा भी 2551 टन निर्धारित की गयी है। भारत सरकार द्वारा रूपये 18.50 प्रति किलोग्राम की दर से राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्यों को प्रत्येक गाह चीनी की आपूर्ति किये जाने हेतु आपूर्तिकर्ता पर्याप्त क्षमता के तहत कर्मचारी हैं।

3. भारत सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र संख्या No.19(2)/2013-SP.I दिनांक 17.5.2013 जिसकी कड़िका-2 में The Government of India would provide subsidy @ 18.50 per kg at FPS level for the Financial years 2013-14 and 2014-15. It is again clarified that the reimbursement by the Central Government will be limited to the quantity based on the existing level of allocations. उल्लेखित है। उक्त पत्र के साथ राज्य सार्वजनिक सेवा में रपष्ट रूप से कड़िका-3 में अंकित है कि The States/UTs which distribute sugar (confirming to ISS grade) under the public Distribution System (PDS) at the Retail Issue Price of not more than Rs. 13.50 per Kg will be reimbursed the subsidy/UT's and @ Rs. 18.50 per Kg (including all administrative, transportation, distribution and other expenses), based on the actual utilization/ distribution of sugar under PDS.

4. राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है:-
- (i) लंबी चीनी का वितरण सभी लाभुकों को प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था प्रशासी विभाग सुनिश्चित करेगा।
 - (ii) भारत सरकार से प्राप्त किये जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि समाय प्राप्त किये जाने हेतु प्रशासी विभाग समर्थक कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा।
 - (iii) इस विषय से संबंधित सचिका में वित्त विभाग द्वारा उठाये गए विन्दुओं का निराकरण पशासी विभाग सुनिश्चित कर लेगा।
 - (iv) भविष्य में इस तरह की योजनाओं में राज्य खाद्य विभाग को शामिल करें।

5. वितरण की रकीकृति निम्नलिखित परामर्श के साथ प्राप्त है –
- (i) लाभुक से प्राप्त होने वाली राशि, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अधिक जमा करायी जाय।
 - (ii) राज्य सरकार के पास रूपये 50.387 करोड़ की राशि रिहॉल्विंग फण्ड के रूप में झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिंग, रांची को उपलब्ध करायी जाय।
 - (iii) इस व्यवस्था में शादी/शाद्द एवं अन्य किरणी भी तरीके का आवंटन/कटौती अनुमान्य नहीं होगा। पी.डी.एस. वितरण को छोड़कर कोई परमीट किसी स्तर पर देश नहीं होगा।
6. वर्तमान में कृषि उत्पादन बाजार समिति, रांची से प्राप्त दर के आधार पर चीनी का मूल्य आकलित की गई है। चीनी का बाजार गूल्य रूपये 35.00 प्रति किलोग्राम भानते हुये चीनी खुले बाजार से क्रय करने में लगभग $35 + (3.07 \text{ रुपये प्रति किलोग्राम परिवहन, हथालग, प्रशासनिक व्यय})$ कुल संभावित मूल्य लगभग प्रति किलोग्राम 38.07 रूपये आकलित किया गया है, जिसमें से प्रति किलोग्राम चीनी का गूल्य 13.50 रुपये लाभुक से लिया जाना है। इस प्रकार राज्य को लगभग $38.07 - 13.50 =$ रूपये 24.57 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति भाष्ट दो किलोग्राम सभी बी०पी०एल० परिवारों को 02 किलोग्राम चीनी वितरण करने पर कुल 206.97 करोड़ रूपये व्यय प्रति वर्ष करना होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह अक्टूबर से माह मार्च 2015 तक कुल रामावेत व्यय 103.49 करोड़ रुपये की रकीकृति प्राप्त है।

7. वीनी वितरण योजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति प्रति किलोग्राम रु 18.50 की जायेगी एवं लाभुकों से ग्रतिकिलोग्राम रु 13.50 प्राप्त किया जायेगा। अर्थात् चीनी वितरण योजना के लिए कुल रु 32/- प्रति किलोग्राम सरकार के कोष पर योजना के प्रारंभ होने के लगातार का वित्तीय वर्ष तक पड़ेगा। केन्द्र सरकार री ग्रतिपूर्ति की राशि पास होने पर राजकोष पर प्रति किलोग्राम रु 6.07 की दर से ग्रतिवर्ष लगभग 51.14 करोड़ रुपये भार पड़ेगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में (माह अक्टूबर से माह मार्च तक) राजकोष पर कुल 25.57 करोड़ रुपये भार पड़ेगा।

8. झारखंड राज्य खाद्य एवं अरोग्यिक आपूर्ति निगम लिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए निकारा आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार कमिटी गठन किया जायेगा :-

प्रक्रिया	पदनाम एवं विभाग का नाम	अध्यक्ष
1.	विकास आयुक्त, झारखंड	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, वितरण विभाग	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	सदस्य सचिव
6.	पर्यावरण निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिंग	सदस्य

9. वीनी वित्तरण योजना के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता का बयान खुली निविदा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष दिया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष तक शारखंड राज्य खाद्य एवं अर्सैनिक आपूर्ति निगम लिंग चीनी के उठाव के लिए सक्षम हो जाने पर वीनी का उठाव सुनिश्चित करेगा।

10. भारत सरकार द्वारा चीनी की प्रतिपूर्ति 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम वी दर से सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुरूप अंकेक्षण ससमय और त्रुटिरहित सुनिश्चित करने हेतु प्रशारी विभाग एक व्यवस्था कायम करेगी। विशेष रूप से अंकेक्षण दल रो अंकेक्षण ससमय पूर्ण कराने एवं प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के लिए प्रबंध निदेशक, शारखंड राज्य खाद्य एवं अर्सैनिक आपूर्ति निगम लिंग पूर्ण रूप से जबाबदेह होंगे।

11. यह प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा अंकेक्षित लेखा विवरणी भारत सरकार को रामणीत करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से राशि उपलब्ध कराया जायेगा। प्रतिपूर्ति किये जाने वाली राशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में प्रक्रिया की जाती है एवं इसमें समय लगने की सम्भावना बनी रहती है। चीनी वित्तरण योजना के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु रांगावित राशि का आकलन कर विभाग के योजना विज्ञान में उपर्युक्त किया जायेगा।

12. भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी का उठाव नहीं किया जाता है। शारखंड राज्य खाद्य एवं अर्सैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड इतनी सक्षम नहीं है कि वह प्रत्येक माह गहाराष्ट्र/उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों से चीनी का उठाव कर राज्य में विभिन्न जिलों तक पहुंचा सके। ऐसी स्थिति में चीनी मिलों से राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक माह चीनी लाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था राज्य स्तरीय निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ता का वयन किया जायेगा।

13. निविदा दरतावेज पर विधि एवं वित विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

14. राज्य स्तरीय निविदा समिति निम्न प्रकार से होगी :-

क्र०	पदनाम एवं विभाग का नाम	आधिका
1.	प्रधान सचिव/सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता गांगले विभाग,	रादरथ
2	विशेष सचिव/रायुक्त रायिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता गांगले विभाग,	सचिव
3	प्रबंध निदेशक, शारखंड राज्य खाद्य एवं अर्सैनिक आपूर्ति निगम लिंग	रादरथ
4	निर्देशक, उद्योग विभाग, शारखंड,	रादरथ
5	वित विभाग के प्रतिनिधि,	रादरथ
6	ग्रंथिगंडल (निगरानी) विभाग के प्रतिनिधि,	रादरथ

15. आपूर्तिकर्ता द्वारा जिलों/प्रखण्डों में अवरित्त राज्य खाद्य निगम के गोदामों में वीनी की आपूर्ति की जायेगी जहाँ से लार स्टोप जिलेवरी के माध्यम से जन वितरण पण्डी दुकानकारी को वीनी आपूर्ति की जायेगी। इस प्रकार वीनी का आतिथ गृह्य निर्वता से पाप्त दर के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

16. आपूर्ति की गई वीनी के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से आपूर्ति रसीद प्राप्त हो जाने पर जँचोपरात्त विभाग द्वारा मुगवान रिवॉल्विंग फंड से करने हेतु शारखंड राज्य खाद्य एवं अर्सैनिक आपूर्ति निगम लिंग रांची को निर्देशित किया जायेगा।

17. राज्य में वीनी का वितरण वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ करने वा प्रस्ताव है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट शीर्ष मांग राख्या=18-मुख्यशीर्ष=3456-सिविल पूर्ति- लघु शीर्ष--796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना-102-सिविल पूर्ति योजना-789-अनुसूचित जातियों के विशेष अंगभूत उपयोजना-उपशीर्ष-38-बी०पी०एल० परिवारों चीनी वितरण योजना-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री में किये गये उपबंधित राशि रु0 50.387 करोड़ व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह अक्टूबर, 2014 से मार्च 2015 तक कुल माह-6(छ: माह) वीनी वितरण करने पर कुल रांभावित व्यय 103.49 करोड़ रु0 व्यय की स्वीकृति प्राप्त है, जिसे रिवॉल्विंग फड़ के रूप में झारखण्ड राज्य खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा, रांची को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः शेष निधि लगभग 53.103 करोड़ रु0 की राशि का उपबंध अनुपूरक आगणन, झारखण्ड आकर्षिता निधि से प्राप्त कर निगम को रिवॉल्विंग फड़ के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्राप्त है।

18. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने पर वीनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित सभी लाभुकों को वितरित किया जायेगा।

19. उपर्युक्त पर मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

४०/-

(डॉ० प्रदीप कुमार),
सरकार के सचिव।

झापांक- खातबजालेवी चीनी-36 / 2012

/ राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालाय, लोरण्डा, राँची को इस आदेश के राथ प्रेषित के बाद इसका क्रमागत राजपत्र असाधारण अंक में करके दू-गजट के रूप में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को सूचनाथ उपलब्ध नहराते।

४०/-
सरकार के सचिव।

झापांक- खातबजालेवी चीनी-36 / 2012

/ राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड, राँची को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४०/-
सरकार के सचिव।